

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर सं.	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय - 1: परिचय		
परिचय	1.1	1
संगठनात्मक संरचना	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.5	4
वित्तीय स्थिति	1.6	4
वाहनों पर करों का संग्रहण	1.6.1	4
संग्रह की लागत	1.6.2	5
आभार	1.7	5
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.8	6
अध्याय - 2: वाहनों के पंजीकरण और उपयोग पर नियंत्रण एवं विनियमन		
वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन	2.1	8
गैर-परिवहन मोटर वाहनों का पंजीकरण समाप्ति के बाद नवीनीकृत न होना	2.2	10
अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण न होना	2.3	11
निर्माण उपकरण वाहनों का गलत वर्गीकरण	2.4	13
गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित किए बिना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाना	2.5	14
परिवहन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण न किया जाना	2.6	15
शैक्षणिक संस्थान की बसों का व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत किया जाना	2.7	17
वाहन का एक से अधिक आर टी ओ में पंजीकृत होना	2.8	17
मानकों का पालन किए बिना स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र संचालित किया जाना	2.9	18
अध्याय - 3: राजस्व संग्रह		
लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी	3.1	22
सरकारी बकाया का आकलन एवं वसूली	3.2	22

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर सं.	पृष्ठ सं.
वसूली की प्रवृत्ति	3.2.1	23
राजस्व जमा	3.2.2	24
बकायेदार रिपोर्ट मॉड्यूल	3.3	25
ग्रीन सेस	3.4	26
संग्रहीत ग्रीन सेस का कम उपयोग	3.4.1	27
₹ 9.77 लाख के ग्रीन सेस की कम प्राप्ति	3.4.2	28
उत्तराखण्ड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत कोष में ₹ 46.36 करोड़ का कम हस्तांतरण	3.5	28
चेक पोस्ट समाप्त होने के उपरान्त उत्तराखण्ड परिवहन और नागरिक अवस्थापना उपकर का संग्रहण	3.6	29
वाहन एप्लिकेशन में कर वापसी के प्रावधान का अभाव	3.7	30
उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा निधि का कम उपयोग	3.8	31
अध्याय - 4: लाइसेंस का निर्गमन, नवीनीकरण एवं निरस्तीकरण		
व्यक्ति को एक से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किया जाना	4.1	34
ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित प्रारूप में निर्गत न किया जाना	4.2	35
डाक के माध्यम से आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस प्रेषित न किया जाना	4.3	36
ड्राइविंग परीक्षण आयोजित करने हेतु अपर्याप्त अवसंरचना	4.4	37
एक दिन में अधिक संख्या में ड्राइविंग परीक्षण किया जाना	4.5	39
सक्षम प्राधिकारियों द्वारा मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों का नियमित निरीक्षण न किया जाना	4.6	40
मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान द्वारा शासकीय वाहनों का उपयोग	4.7	41
मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा वैधता के नवीनीकरण हेतु विलंब से आवेदन किया जाना	4.8	42
दक्षता परीक्षण किए बिना ही अन्य राज्यों के ड्राइवरों को पर्वतीय पृष्ठांकन प्रदान किया जाना	4.9	43
विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों को निर्गत किए जाने के प्रकरणों में पायी गई विसंगतियाँ	4.10	44

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर सं.	पृष्ठ सं.
अध्याय - 5: प्रवर्तन गतिविधियाँ एवं मानव संसाधन प्रबंधन		
प्रवर्तन गतिविधियाँ	5.1	48
ए आर टी ओ (प्रवर्तन) के कार्य	5.1.1	48
ई-चालान सॉफ्टवेयर	5.1.2	49
प्रशमन शुल्क का अनुचित दरों पर आरोपण	5.2	50
प्रशमन शुल्क की उच्च दर के आरोपण के लिए चालान मशीन द्वारा अपराधों की पुनरावृत्ति का पता न लगाया जाना	5.3	52
धनराशि ₹ 58.02 करोड़ के चालान माननीय न्यायालय को अग्रेषित नहीं किए गए	5.4	52
जब्त वाहनों की नीलामी एवं राजकोष में कर/जुर्माना जमा किया जाना	5.5	53
जब्त वाहनों के लिए अनुचित पार्किंग सुविधा	5.6	56
मोटर वाहनों में ओवरलोडिंग पर प्रवर्तन गतिविधियाँ	5.7	57
ए एन पी आर कैमरों के माध्यम से चालान	5.8	58
वाहन स्थान ट्रेकिंग योजना के कार्यान्वयन में कमियाँ	5.9	59
सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में कमियाँ	5.10	61
नशे में वाहन ड्राइविंग की रोकथाम के लिए प्रवर्तन कार्रवाई	5.11	62
समर्पित किये गये वाहनों से संबंधित नियमों का पालन न करना	5.12	63
ई-चालान एवं वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर में बुनियादी सत्यापन का अभाव	5.13	65
प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों का खराब प्रबंधन	5.14	66
मानव संसाधन प्रबंधन	5.15	66
परिशिष्टियाँ		
परिशिष्ट शीर्षक	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
गैर-परिवहन वाहनों का पंजीकरण समाप्ति के बाद नवीनीकृत नहीं किया जाना	2.1	69
सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एम डी टी एस का निरीक्षण	4.1	70
साठ दिन की अवधि से कम समय में एम डी टी एस के नवीनीकरण हेतु आवेदन	4.2	71

परिशिष्ट शीर्षक	परिशिष्ट सं.	पृष्ठ सं.
विभिन्न प्रशमन शुल्क के साथ समान अपराधों का विवरण	5.1	72
शीर्ष 10 वाहनों के वी एल टी अलर्ट का विवरण (18.02.2025 तक पिछले सात दिनों में)	5.2	73
100 वाहनों का विवरण, जिसके लिए दुर्घटना से पहले वी एल टी अलर्ट उत्पन्न किए गए थे	5.3	74
उन वाहनों का विवरण जिनकी खरीद की तिथि पंजीकरण की तिथि के बाद की है	5.4	81
31 मार्च 2024 तक स्वीकृत पदों के विरुद्ध पदस्थ व्यक्ति की स्थिति	5.5	82